



माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल

महाविद्यालयी और विश्वविद्यालयी विद्यार्थियों हेतु
केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना

**CENTRAL SECTOR SCHEME OF SCHOLARSHIP FOR
COLLEGE AND UNIVERSITY STUDENTS - 2011**

आवेदन पत्र
सह दिशा-निर्देश

--: सौजन्य से :-

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग
भारत सरकार, नई दिल्ली

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग)
महाविद्यालयी/विश्वविद्यालयी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना।

1. पृष्ठ भूमि (BACKGROUND)

राष्ट्रीय मैरिट छात्रवृत्ति योजना उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1961-62 में शुरू की गई थी। यह कक्षा 11 से लेकर स्नातकोत्तर स्तर के निर्धन परन्तु प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराई जाती थी। इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1971-72 में ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए भी छात्रवृत्ति की एक योजना प्रारम्भ की गई थी। यह छात्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा VI से XII तक के प्रतिभावान एवं निर्धन विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराई जाती थी। वर्ष 2005-06 से इन दोनों छात्रवृत्तियों को मिला दिया गया तथा क्रियान्वित करने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय मैरिट छात्रवृत्ति योजना के नाम से एक ही योजना प्रारम्भ की गई। यह योजना कक्षा IX से स्नातकोत्तर स्तर के प्रतिभावान छात्रों के लिए उपलब्ध थी। योजना आयोग द्वारा सन् 2007-08 में आवश्यक धन राशि उपलब्ध न कराये जाने के कारण इसे 01.04.07 से बन्द कर दिया गया। वर्ष 2007-08 से विद्यालयी शिक्षा एक नये विभाग अर्थात् विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधीन कर दी गई। विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एक नई योजना शुरू की है। इस योजना (National Means-Cum-Merit Scholarship Scheme) से कक्षा IX से XII के प्रतिभावान विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने निम्न आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए जो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में प्रवेश लेंगे, के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना की क्रियान्विति 11वीं योजना की अवधि में 1000 करोड़ रुपयों की निर्धारित राशि के साथ की जायेगी। यह केन्द्रीय क्षेत्र की महाविद्यालयी एवं विश्वविद्यालयी विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति योजना 'Central Sector Scheme of Scholarship For College and University Students' है।

2. उद्देश्य (OBJECTIVE)

निम्न आय वर्ग के परिवारों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करते समय दैनिक खर्चों की आंशिक पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।

3. क्षेत्र (SCOPE)

यह छात्रवृत्ति हायर सेकण्डरी परीक्षा (XII) के परिणामों के आधार पर प्रदान की जायेगी। महाविद्यालयी/विश्वविद्यालयी स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर तथा चिकित्सा, अभियान्त्रिकी जैसे पाठ्यक्रमों के स्तर पर पूरे देश में 82,000 छात्रवृत्तियां (41,000 लड़कों के लिए तथा 41,000 लड़कियों के लिए) प्रदान की जायेगी।

4. छात्रवृत्तियों का आवंटन (ALLOCATION OF SCHOLARSHIPS)

छात्रवृत्तियों की कुल संख्या को राज्य की जनसंख्या के आधार पर राज्य शिक्षा बोर्डों में विभाजित कर दिया जायेगा। इन छात्रवृत्तियों को 18-25 आयुवर्ग के विद्यार्थियों में वितरित किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश राज्य हेतु कुल 4299 छात्रवृत्तियां आवंटित की गई हैं जिसमें से 50% छात्रवृत्तियां लड़कियों के लिये निर्धारित की जावेगी। प्रदेश हेतु आवंटित छात्रवृत्तियों की संख्या को विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय के विद्यार्थियों में 3:2:1 के अनुपात में वितरित किये जावेगा।

5. पात्रता (ELIGIBILITY)

10+2 पेटर्न की कक्षा XII में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 36012/22/93 Estt (SCT) दिनांक 08.11.93 (परिशिष्ट

IV) तथा जिसे उनके ओ.एम. सं. 36033/3/2004 Estt (Res) दिनांक 09.03.2004 (परिशिष्ट V) द्वारा संशोधित किया गया एवं जिसे समय-समय पर आगे भी संशोधित किया जा सकता है, में परिभाषित Creamy Layer का न हो तथा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था के नियमित पाठ्यक्रम (न कि पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा) में अध्ययनरत हो और जिसे और कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही हो, इसके पात्र होंगे। यह सभी श्रेणियों के सामान्य एवं आरक्षित वर्गों के विद्यार्थियों पर लागू होगी।

5.1 आरक्षण (RESERVATION) :- आरक्षित/कमजोर/अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी मैरिट के आधार पर केन्द्रीय आरक्षण नीति तथा आन्तरिक निर्धारण के तहत पात्र होंगे। यह छात्रवृत्ति Non Creamy layers के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगी। इस विषय से संबंधित संदर्शिका या निर्देशिका के अनुसार अभिभावक की आय की उच्चतम सीमा 4.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष है।

वर्तमान में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण इस प्रकार है :- अनु.जा. 15 प्रतिशत, ज.जा. 7.5 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग 27 प्रतिशत है तथा समान्तर रूप में सभी वर्गों में 3 प्रतिशत विकलांग के लिए आरक्षण उपलब्ध होगा।

6. चयन प्रणाली (SELECTION PROCEDURE) :-

छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक विद्यार्थी जो इस हेतु सभी मापदण्ड पूर्ण करते हों, अपने आवेदन पत्र की पूर्ण रूप से पूर्ति उपरांत संबंधित शिक्षा मण्डल को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। जायनिंग रिपोर्ट, विवरण प्रपत्र तथा छात्र के शपथ पत्र की प्राप्ति के पश्चात संबंधित शिक्षा बोर्ड छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों की सूची को मैरिट पात्रता मापदण्ड तथा केन्द्र सरकार की आरक्षण मार्ग दर्शिका के आधार पर संकलित करेगा तथा उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के छात्रवृत्ति प्रभाग को प्रेषित करेगा। यह प्रभाग निर्दिष्ट बैंक के माध्यम से छात्रवृत्ति के भुगतान की व्यवस्था करेगा। पत्राचार के लिए नाम एवं पता तथा विद्यार्थी के बैंक खाते जिसमें छात्रवृत्ति को जमा कराया जायेगा की सूचना बोर्ड द्वारा सूची के साथ प्रेषित की जायेगी।

7. छात्रवृत्ति की दर (RATE OF SCHOLARSHIP) :-

छात्रवृत्ति की दर स्नातक स्तर पर महाविद्यालयी तथा विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम के प्रथम तीन वर्ष के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 2000 रुपये प्रतिमाह होगी। इसी तरह व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु छात्रवृत्ति की दर चौथे और पांचवें वर्ष 2000 रुपये प्रतिमाह होगी। छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष शैक्षणिक वर्ष के 10 माह के लिए दी जायेगी।

8. माता-पिता की आय की उच्चतम सीमा (PARENTAL INCOME CEILING) :-

छात्रवृत्ति सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को दी जायेगी जो नॉन क्रीमी लेयर जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 36012/22/93 - ESTT (SCT) दिनांक 08.11.1993 में परिभाषित किया गया है तथा विभाग के ओ.एम. सं. 36033/3/2004 ESTT (RES) द्वारा जिसमें संशोधन किया गया है तथा जिसमें समय - समय पर आगे भी संशोधन किया जा सकता है, से संबंधित हो तथा जिसे अन्य कोई और छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। वर्तमान में आय की उच्चतम सीमा 4.5 लाख रुपये वार्षिक है। प्रतिवर्ष आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते विद्यार्थी नवीनीकरण हेतु निर्धारित शर्तें पूरी करता हो।

9. छात्रवृत्ति की अवधि एवं उसका नवीनीकरण (DURATION OF SCHOLARSHIP AND ITS RENEWAL) :-

इस योजना के तहत छात्रवृत्ति इसी वर्ग में स्नातकोत्तर स्तर तक प्रतिवर्ष नवीनीकरण के योग्य होगी। सभी प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए उनके स्नातक स्तर तक यह छात्रवृत्ति नवीनीकरण के योग्य होगी। सभी पाठ्यक्रमों के लिए यह छात्रवृत्ति अधिकतम पाँच वर्ष तक नवीनीकरण के योग्य होगी। नवीनीकरण अगली कक्षा में प्रोन्नति पर निर्भर करेगा बभार्ते विद्यार्थी 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक या समान श्रेणी (ग्रेड) प्राप्त करें। दो पिछले सेमेस्टरों में कुल अंकों में औसत अंक या वार्षिक परीक्षा में औसत अंक प्राप्त करें जिनके आधार पर उसे कक्षोन्नति प्राप्त हो। यह अनुशासन तथा कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति की शर्त पर देय होगी। छात्र की अनुशासनहीनता की शिकायत तथा रैगिंग में संलग्न होने की शिकायत छात्रवृत्ति को जब्त करा सकती है। यदि विद्यार्थी बीमारी का अन्य किसी अप्रत्याशित घटना के कारण परीक्षा न दे सकें तो चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाण पत्र संस्था प्रधान को संतुष्ट करने हेतु प्रस्तुत करने पर छात्रवृत्ति अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए नवीनीकृत कर दी जायेगी बशर्ते संस्था प्रधान यह प्रमाणित करे कि यदि वह छात्र परीक्षा देता तो 60 प्रतिशत अंक का औसत ग्रेड प्राप्त करता। यदि विद्यार्थी पाठ्यक्रम पूरा होने से पूर्व ही उसे छोड़ दे या मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बिना पाठ्यक्रम बदल दे तो छात्रवृत्ति निरस्त कर दी जायेगी। छात्रवृत्ति के नियमित रहने के लिए उत्तम चरित्र एवं उपस्थिति की नियमितता भी अपेक्षित है ऐसे मामले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का निर्णय अन्तिम होगा। एक बार छात्रवृत्ति निरस्त हो जाये तो किसी भी स्थिति में उसका नवीनीकरण नहीं हो सकेगा।

10. छात्रवृत्ति का भुगतान (PAYMENT OF SCHOLARSHIP) :-

चयनित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा छात्र के बैंक खाते में सीधे ही कर दिया जायेगा। छात्रवृत्ति का भुगतान प्रवेश लेने के महिने से ही शुरू हो जायेगा। छात्रवृत्ति एक शैक्षिक वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए ही दी जा सकेगी।

—//—

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास
मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग

महाविद्यालयी और विश्वविद्यालयी विद्यार्थियों हेतु
केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना

CENTRAL SECTOR SCHEME OF SCHOLARSHIP FOR
COLLEGE AND UNIVERSITY STUDENTS-2011

आवेदन पत्र की पूर्ति करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश:-

1. आवेदन पत्र भरने से पूर्व प्रत्येक बिन्दु को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये। विचारार्थ प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं मिलेगी। छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्णय ले लेने के बाद भी गलत सूचना पाये जाने पर आवेदन तुरन्त निरस्त किया जा सकता है।
2. नियत तिथि के पश्चात प्राप्त या अपूर्ण एवं अस्पष्ट रूप से भरे हुये आवेदन पत्रों पर किसी तरह का विचार नहीं किया जावेगा।
3. छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के विवरण प्रपत्र (परिशिष्ट 1), महाविद्यालय में प्रवेश का प्रमाण पत्र (परिशिष्ट 2) तथा आय शपथ पत्र (परिशिष्ट 3), में समस्त वांछित जानकारियां पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरकर, आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ उस संस्था प्रधान को जिसमें कि विद्यार्थी ने स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदक की वर्तमान में अध्ययनरत संस्था प्रधान फोटो एवं महाविद्यालय में प्रवेश के प्रमाण पत्र (परिशिष्ट 2) को अपनी पदमुद्रा (सील) के साथ अभिप्रमाणित करने के बाद सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल को अग्रेषित करेंगे।
4. यह छात्रवृत्ति मण्डल की हायर सेकण्डरी परीक्षा सत्र 2011-12 में 80% या उसमें अधिक अंक प्राप्त करने वाले ऐसे आवेदकों को प्रदान की जाना प्रस्तावित है जो सत्र 2010-11 में नियमित रूप से किसी शासकीय या अशासकीय महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स हेतु अध्ययनरत हैं। पत्राचार पाठ्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा के तहत अथवा स्वाध्यायी रूप से अध्ययनरत आवेदक इस हेतु मान्य नहीं किये जावेंगे।
5. आवेदन पत्र के परिशिष्ट 1 में चाही गई बैंक की सम्पूर्ण जानकारी के अभाव में आवेदन निरस्त किये जा सकते हैं अतः विद्यार्थीगण किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की

शाखा में अपना स्वयं का खाता खुलवाकर चाही गई समस्त जानकारी जैसे बैंक का नाम एवं सम्पूर्ण पता, बैंक का कोड नंबर, बैंक का IFSC कोड, अपना स्वयं का खाता क्रमांक आदि वांछित जानकारी आवश्यक रूप से अंकित करें।

6. आवेदन पत्र के परिशिष्ट तीन में दिये गये अभिभावक/पालक के आय संबंधी शपथ पत्र को 10/- रु. मूल्य के नान ज्युडिशियल स्टाम्प के साथ नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी प्रशासक/राजस्व अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित जोकि स्वयं भी अपने पद की मुद्रा सहित हस्ताक्षर करेंगे, प्रस्तुत किया जाना चाहिये। माता पिता की आय का प्रमाण पत्र इनकम टैक्स रिटर्न भी शपथ पत्र के साथ संलग्न करें।

7. आवेदन पत्र के साथ भेजे जाने वाले दस्तावेज:-

- अ सम्पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र-परिशिष्ट 1,2 एवं 3
ब मण्डल की हायर सेकण्डरी (12वीं परीक्षा 2009) की अंकसूची की छायाप्रति।
स जन्मतिथि प्रमाणीकरण हेतु हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची की छायाप्रति।
द आरक्षित श्रेणी, विकलांग श्रेणी के आवेदक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये जाति/विकलांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

8. आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने हेतु पता:-
प्रति,

छात्रवृत्ति कक्ष
विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल मुख्यालय,
शिवाजी नगर, भोपाल

9. मण्डल में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2011

—//—

परिशिष्ट- (1)

GOVERNMENT OF INDIA (MHRD)
CENTRAL SECTOR SCHEME OF SCHOLARSHIP FOR COLLEGE
AND UNIVERSITY STUDENTS-2009

STATEMENT OF PARTICULARS

विवरण प्रपत्र

कार्यालयीन उपयोग हेतु
इनटाइटिलमेंट नंबर

— अंतिम तिथि — 30 सितम्बर 2011

— आवेदक का कक्षा 2 का अनुक्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

— विषय/संकाय :

विद्यार्थी वर्तमान में
अध्ययनरत
महाविद्यालय के
प्राचार्य द्वारा प्रमाणित
व मुद्रांकित नवीनतम
रंगीन आवक्ष चित्र
लगायें।

1	1. अभ्यर्थी का नाम (बड़े अक्षरो में) हिन्दी प्रमाण पत्र के अनुसार	
	अंग्रेजी	
2	जन्म तिथि (दिनांक/माह/वर्ष) प्रमाण पत्र के अनुसार	
3	लिंग : पुरुष/महिला	
4	वर्ग : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य (कृपया प्रमाण पत्र लगायें)	
	शारीरिक दृष्टि से विकलांग (कृपया प्रमाण पत्र लगायें)	
5	अ. वर्तमान में अध्ययनरत संस्था का नाम एवं पता जहां आवेदक ने स्नातक कोर्स हेतु प्रवेश लिया है	
	ब. अध्ययनरत कोर्स का नाम	
	स. अध्ययनरत कोर्स की अवधि वर्ष
	द. अध्ययनरत कोर्स का प्रकार डिग्री कोर्स/डिप्लोमा कोर्स/अन्य (कृपया विवरण दें)	

6	पिता/अभिभावक/पति का विवरण जो आवश्यक हो	
	अ. नाम	
	ब. स्थायी निवास का पता पिन कोड सहित	
	स. व्यवसाय/पदनाम-पता	
7	आवेदक का सम्पर्क विवरण	
	अ पत्र व्यवहार का पता पिन कोड सहित	
	ब टेलीफोन न. एस.टी.डी. कोड सहित	
	स मोबाइल नम्बर	
	द ई-मेल आई डी	
8	माता-पिता दोनों/अभिभावक या विवाहित महिला विद्यार्थियों के संदर्भ में उसके पति की समस्त वार्षिक आय। इसकी पुष्टि हेतु परिशिष्ट के अनुसार आय शपथपत्र संलग्न करें।	रूपये
9	उस विद्यालय/संस्थान का विवरण जहाँ से नियमित रूप से कक्षा 12 उत्तीर्ण की है	
	अ. विद्यालय/संस्थान का नाम	
	ब. प्रवेश तिथि (दिनांक/माह/वर्ष)	
	स. छोड़ने की तिथि (दिनांक/माह/वर्ष)	
10	अभ्यर्थी द्वारा उत्तीर्ण बाहरवीं कक्षा का विवरण	
	(i) उत्तीर्ण की गई परीक्षा का नाम	
	(ii) रोल नम्बर	
	(iii) परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	
	(iv) उस बोर्ड के मुख्यालय का नाम जिस के द्वारा उत्तीर्ण की गई परीक्षा संचालित की गई है।	
	(v) प्रथम पाँच विषयों की परीक्षा में प्राप्त अंकों का पूर्णयोग (दो अनिवार्य तथा तीन ऐच्छिक विषय)	
	(vi) कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत	

11	क्या अभ्यर्थी राज्य सरकार या किसी दूसरे संस्थान या व्यक्ति से कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है ?	हाँ/नहीं
	यदि हाँ तो मासिक धनराशि और उस दिनांक का विवरण दीजिए जब से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।	
12	अभ्यर्थी के बैंक बचत खाते का विवरण	
	अ. खाता नम्बर	
	ब. बैंक का नाम व पता	
	स. बैंक की कूट संख्या (कोड)	
	द. IFSC कोड (बैंक की ग्यारह अंकीय कूट संख्या)	
13	इस विवरण के साथ संलग्न पत्रकों की संख्या (संलग्न पत्रकों के बिना आवेदन पत्र पर विचार नहीं होगा)	
	अ. आय शपथपत्र (परिशिष्ट 3)	
	ब. माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश की हा.से. परीक्षा (12) 2011 की सत्यापित अंकसूची की छायाप्रति	
	स. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ विगलांगता प्रमाण पत्र जो लागू हो की सत्यापित प्रति।	
	द. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में प्रवेश का प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-2)	
	प. जन्मतिथि प्रमाणीकरण हेतु हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची की छायाप्रति	

14. प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिया गया विवरण सही है। मैं घोशणा करता हूँ/करती हूँ कि यदि मेरा चयन छात्रवृत्ति के लिए होता है तो मैं अपना पूरा समय अपने अध्ययन में लगाऊँगा/लगाऊँगी व अन्य किसी स्रोत से निर्धारित राशि या छात्रवृत्ति स्वीकार नहीं करूँगा/करूँगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग
महाविद्यालयी और विश्वविद्यालयी विद्यार्थियों हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की

छात्रवृत्ति योजना

महाविद्यालय प्रवेश का प्रमाण पत्र (JOINING REPORT)

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती जिसने कि
माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा मार्च-अप्रैल 2011 में आयोजित हायर सेकण्डरी
(12वीं) परीक्षा का अनुक्रमांक के साथ उत्तीर्ण की है, को
..... पाठ्यक्रम के लिए इस संस्था में दिनांक
को प्रवेश दे दिया है। उसने दिनांक 2011 से प्रथम वर्ष की कक्षा में उपस्थित होना
प्रारम्भ कर दिया है।

2. पूर्ण विवरण पत्र (परिशिष्ट 1) और आय शपथ पत्र (परिशिष्ट 3) भी संलग्न हैं।

प्राचार्य
महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की
मुद्रा एवं सम्पूर्ण पता एस.टी.डी.
कोड सहित दूरभाष नं.

प्रेषित

(केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना)
सचिव,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र.,
भोपाल

आय शपथपत्र (INCOME AFFIDAVIT)

विद्यालयी एवम् विश्वविद्यालयी विद्यार्थियों हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत स्वीकृत छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में माता-पिता/अभिभावक की 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष की आय सम्बन्धी घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री, श्री/श्रीमती

निवास

शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करता हूँ/करती हूँ :-

1. कि मेरा/पुत्र/पुत्री/आश्रित, श्री /कुमारी

जिसे अस्थायी रूप से विद्यालयी एवं विश्वविद्यालयी विद्यार्थियों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु चुना गया/चुनी गयी है,
.....(विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम) में पढ़ रहा/रही है।

(संस्था का नाम)

2. कि 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए गत वर्ष में संलग्न अनुसूची में दिये गए विवरण के अनुसार मेरी वार्षिक आय रुपये है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे स्वामित्व में जो सम्पत्ति है वह अनुसूची में दिए गए विवरण के अनुसार है तथा मैंने मेरे द्वारा भुगतान किए गए करों, उपकरणों तथा भूमि राजस्व को सही-सही दर्शाया है। मैं मेरे द्वारा उपलब्ध करवाये गए तथ्यों एवम् आंकड़ों के लिए मैं अपने आपको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी मानता हूँ।

3. कि उपरोक्त अनुच्छेदों में दिया गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

4. कि मैं यह भी वचन देता हूँ कि इस घोषणा में दिए गए विवरण के असत्य पाये जाने पर मैं छात्र/छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति राशि का दो गुना भुगतान भारत के राष्ट्रपति को लौटा दूंगा तथा तथ्यों की असत्यता के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय अन्तिम एवम् बाध्यकारी होगा।

हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

लेख्य प्रमाणक (नोटरी पब्लिक) या मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी के प्रशासक/राजस्व अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित जो कि स्वयं भी अपने पद की मुद्रा सहित हस्ताक्षर करेगा।

मुद्रा सहित हस्ताक्षर

अनुसूची - SCHEDULE

I. स्वयं के नियन्त्रण में भूमि की सीमा और आमदनी

स.क्र.	विवरण	(अ) स्वतंत्र रूप से अपने स्वामित्व में	(ब) संयुक्त रूप से स्वामित्व में	(स) स्वतन्त्र काश्तकार के रूप में
1	क्षेत्र			
2	गाँव			
3	सर्वेक्षण क्रम			
4	भूमिराजस्व निर्धारण			
5	वार्षिक आय	रुपये	रुपये	रुपये

II. स्वयं के नियन्त्रण में सम्पत्ति व उससे अर्जित आय (घर, दुकान, भवन, गृह स्थल आदि)

- (अ) गृह संख्या
- (ब) गली/सड़क
- (स) गाँव/कस्बा/ तहर
- (द) स्थल/भूमि
- (य) प्राप्त किराया (यदि मिल रहा हो तो)
- (र) गृह कर रुपये
- (क) सफाई या अन्य उपकरण रुपये
- (ख) वास्तविक वार्षिक आय रुपये

यदि सम्पूर्ण भूमि या आंशिक रूप से भूमि काश्तकारों को दे रखी है तो उसका विवरण दें।

III. दुकानों से अर्जित आय :

- (अ) दुकान का पता
- (ब) व्यापार की प्रकृति
- (स) बिक्री कर व आयकर जो दिया हो - रुपये
- (द) अनुज्ञा पत्र संख्या (Licence No.)
- (य) वार्षिक आय रुपये

IV. प्राप्त वेतन स्वयं द्वारा/पति/पत्नी द्वारा

- (I) नियोजक का नाम
- (II) कार्यालय/विभाग जिसमें कार्यरत है तथा पदनाम
- (III) कार्यालय का पता
- (IV) (अ) वर्ष 2011 का आयकर घटाये बिना वार्षिक मूल वेतन रुपये
- (नियोक्ता/आयकर अधिकारी/राजस्व अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)
- (ब) विशेष वेतन/अधिलाभांश (बोनस) रुपये
- (स) प्रतिनियुक्ति भत्ता और मानदेय एन.सी.सी. मानदेय सहित रुपये
- (द) अ ब स का कुल योग रुपये
- (य) भविष्य निधि के लिए अंशदान रुपये
- (र) एल.आई.सी/सी टी डी के लिए किया गया भुगतान रुपये
- (त) य और र का कुल योग रुपये

V.	सरकारी कर्मचारी ऐसा प्रमाण-पत्र दे सकते हैं कि वे वर्तमान सरकारी निर्देशों के अनुरूप क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं	
VI.	अन्य लाभ जैसे कि गृह किराया भत्ता, मुफ्त घर की सुविधा और दूसरे अनुलाभ	
VII.	आय के अन्य स्रोत	
	(क) सहायक उद्योगों से आय, अंशकालिक व्यवसाय	रुपये
	(ख) प्राप्त वेतन की राशि,	रुपये
	(ग) अन्य आय,	रुपये
VIII.	पत्नी/पति की वार्षिक आय और छात्र की किसी अन्य स्रोत से आय	रुपये
	(अ) वर्ष 2011 का आयकर घटाये (बिना वार्षिक मूल वेतन) (नियोक्ता/आयकर अधिकारी/राजस्व अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)	रुपये
	(ब) विशेष वेतन/अधिलाभांश (बोनस)	रुपये
	(स) प्रतिनियुक्ति भत्ता और मानदेय एन.सी.सी. मानदेय सहित	रुपये
	(द) अ, ब, स, का कुल योग	रुपये
	(य) भविष्यनिधि के लिए अंशदान	रुपये
	(र) एल.आई.सी/सी.टी.डी. के लिए किया गया भुगतान	रुपये
	(ल) य और र का कुल योग	रुपये

छात्र के माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

ध्यान दें :-

- परिवार की कुल आय में विद्यार्थियों के केवल माता-पिता की आय को सम्मिलित किया जाना चाहिए और अन्य किसी सदस्य की आय को नहीं भले ही वो कमा रहे हों।
- यदि पिता की मृत्यु हो चुकी है तो माता की आय को दिखाया जाना चाहिए व उसके साथ विद्यार्थियों के नाम से शेयर सम्पत्ति आदि से अर्जित आय (अगर हो तो) दिखाई जानी चाहिए।
- यदि दोनो माता और पिता की मृत्यु हो चुकी है तो मात्र विद्यार्थियों के नाम से अर्जित आय, अगर हो तो, दिखाई जानी चाहिए न कि अभिभावक की जो विद्यार्थियों की सहायता कर रहा हो।
- Means Test के उद्देश्य से आय को निम्नलिखित ढंग से परिभाषित किया गया है :
(अ) वैतनिक वर्ग के लिए मूल वेतन व अन्य स्रोतों से अर्जित आय (यदि कोई हो तो) इसमें भत्ते जैसे कि महंगाई भत्ता, शहरी आपूर्ति भत्ता इत्यादि सम्मिलित नहीं होंगे।
(ब) अन्य स्रोत से आय के मामलों में जिस पर आयकर देय हो, वह आय जिसकी गणना उस वर्ष के लिए लागू आयकर नियमों के अनुसार छूट देने के पश्चात् आयकर निर्धारित करने के उद्देश्य से की गई हों।
(स) ऐसी आय के मामलों में जिस पर आयकर देय नहीं होता है जैसे कि कृषि से आय आदि, वह वास्तविक आय जो कि उस आय को अर्जित करने के लिए किए गए खर्चों को घटा कर निकाली गई हों।

—//—